पत्रांक–14 / मु०स०–20–66 / 2025 / न०वि०एवंआ०वि०

*ई–मेल
स्पीड पोस्ट / निबंधित डाक

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बुडको।

पटना, दिनांक–

विषयः– **मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु चयनित विभिन्न नगर निकायों के कुल 03 योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि ₹973.35028 लाख (नौ करोड़ तिहत्तर लाख पैंतीस हजार अठाईस रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः **स्वीकृत।**

विभागीय संकल्प संख्या–4945, दिनांक–20.07.2024 द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत जल निकासी सहित चौड़ी, सुदृढ़, गुणवत्ता युक्त सड़कों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार तथा पार्कों, घाटों, जलाशयों इत्यादि का निर्माण कराया जाना है।

2. उक्त के क्रम में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2862, दिनांक–11.09.2024 द्वारा मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु जिला पदाधिकारी को ₹1.00 करोड़ तक तथा प्रमंडलीय आयुक्त को ₹1.00 करोड़ से उपर तथा ₹2.50 करोड़ रूपये तक की योजनाओं के प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति का प्रत्यायोजन किया गया है। ₹2.50 करोड़ रूपये से अधिक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति विभाग स्तर से प्रदान की जानी है।

3. उक्त के आलोक में प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया द्वारा उक्त योजना अंतर्गत उनके नगर निकाय से संबंधित ₹2.50 करोड़ रूपये से अधिक की वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु चयनित योजनाओं के स्वीकृति का प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराते हुये प्रशासनिक स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।

4. उक्त वर्णित स्थिति के आलोक में में निम्न तालिका के स्तम्भ– 4 में अंकित योजना के सम्मुख स्तम्भ–5 में अंकित कुल–03 योजना के तकनीकी अनुमोदन की राशि ₹973.35028 लाख (नौ करोड़ तिहत्तर लाख पैंतीस हजार अठाईस रू०) के आलोक में स्तम्भ–6 में अंकित राशि के अनुरूप मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना अंतर्गत प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती हैः–

क्र०सं०	जिला का नाम	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	कटिहार	नगर पंचायत, कोढ़ा	नगर पंचायत, कोढ़ा क्षेत्रान्तर्गत वार्ड संख्या–06 में कोढ़ा नहर घाट (दोनो तरफ) का निर्माण कार्य।	321.30949	321.30949
2		नगर पंचायत, कुर्सेला	नगर पंचायत, कुर्सेला क्षेत्रान्तर्गत वार्ड संख्या–02 में एन0एच0 31 से खुश्कीपुर जाने वाली सड़क का ऊँचीकरण कार्य।	360.74567	360.74567
3		नगर पंचायत, बारसोई	नगर पंचायत, बारसोई क्षेत्रान्तर्गत वार्ड संख्या–06 एवं 07 में बारसोई स्टेशन के निकट काली मंदिर से एन0एच0 98 चमड़ा गोदाम चौक तक एक तरफ आर0सी0सी0 नाला एवं पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	291.29512	291.29512
			कुल योग	**973.35028**	**973.35028**

5. उक्त योजनाओं का कार्यान्वयन बुडको द्वारा ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा प्रकाशित कर किया जायेगा।

6. योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय पत्रांक–2872, दिनांक–12.09.2024 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका–सह–विवरणिका के आलोक में कराया जायेगा।

7. उक्त योजनाओं का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु सभी नगर निकायों के निमित्त कर्णांकित कुल ₹500.00 करोड़ मात्र में से संबंधित नगर निकायों के जनसंख्या के आधार पर कर्णांकित राशि के तीन गुणी राशि तक के अंतर्गत ही कराया जायेगा।

8. वित्तीय वर्ष 2024–25 में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना मद से कुल ₹400.00 करोड़ मात्र विभागीय राज्यादेश संख्या–316, दिनांक–11.02.2025 द्वारा बुडको को आवंटित की जा चुकी है।

9. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में समय–समय पर निर्गत विभागीय निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–14/मु०स०–20–66/2025 2283 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–12.06.25

प्रतिलिपिः– प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल/प्रबंध निदेशक, बुडको/जिला पदाधिकारी, कटिहार/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, कोढ़ा, कुर्सेला एवं बारसोई/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित कोषागार के कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02, 06 एवं 14 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।